



2026:AHC:164385

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27454 वर्ष 2026

रज्जू उर्फ़ नेम कुमार

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कामेश्वर सिंह, सुधांशु कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के अधिवक्ता और एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 122/2026 (बीएनएस की धारा 319(2), 338, 336(3), 340(2), 318(4); थाना- कोतवाली नगर, ज़िला- बांदा) में संबंधित न्यायालय में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे किसी गलत मकसद से इस मामले में फंसाया गया है। प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है और जांच के दौरान इस मामले में उसका नाम साज़िशकर्ता के तौर पर सामने आया। आवेदक कथित विक्रय विलेख का न तो खरीदार है, न ही विक्रेता और न ही गवाह। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का उन आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है जो उस पर लगाए गए हैं और उसने अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। साथ ही यह भी बताया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि सह-आरोपी आफरीन खान (आवेदक की बहन) संबंधित संपत्ति की खरीदार है और उसे इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने 22.05.2026 के आदेश (आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र U/s 482 बीएनएसएस संख्या 5009/2026) के ज़रिए अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी है। यह भी बताया गया कि सह-आरोपी आजम खान उर्फ रहेजा को इस न्यायालय ने 28.07.2026 के आदेश (आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 24757/2026) के ज़रिए ज़मानत दी है। इस मामले के अलावा, बाद में आवेदक को चार अन्य मामलों में भी फंसाया गया है और ज़मानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दायर शपथपत्र में इसकी जानकारी दी गई है। आवेदक 26.03.2026 से जेल में है। इसलिए, आवेदक ज़मानत का हकदार है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है।

4. विद्वान एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आरोपी-आवेदक के अधिवक्ता द्वारा कही गई ऊपर बताई गई बात पर कोई आपत्ति नहीं की है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख को देखने और आरोपों की प्रकृति, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर गौर करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मुझे यह ज़मानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला लगता है। इसलिए, ज़मानत की प्रार्थना-पत्र **स्वीकार किया जाता है।**

6. आवेदक - **रज्जू उर्फ नेम कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो भरोसेमंद ज़मानतदार पेश करने पर उक्त आपराधिक वाद संख्या वाले मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।



7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक की ज़मानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने की छूट होगी।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ ज़मानत की प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के लिए पक्षों द्वारा बताए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

6 अगस्त, 2026

एस.के.